न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 5/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री केशव राठोर पुत्र जगदीश राठोर निवासी वार्ड नं0 13 चाचौडा गेट, छबडा जिला बारॉ (मौके पर मौजूद विक्रेता) मैसर्स कृष्णा बेकरी, झालावडा रोड तेल फेक्ट्री बारॉ
2. श्री निषान्त शर्मा (फर्म मालिक) निवासी 23 हथाई पाडा केवडा बारॉ। मैसर्स वसुमति एजेन्सीज, दीन दयाल पार्क बारॉ
3. श्री दुर्गेश नन्दन बग्गा पुत्र श्री हरिश बग्गा, निवासी 806 बसंत विहार कोटा। मैसर्स वैभव इन्टरप्राईजेज, 26 ए न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा
4. श्री महेश कटारा पुत्र स्वं0 भैरव सिंह कटारा निवासी 152, पाला खेडी गांधी नगर के पास इन्दौर (म.प्र.) (नोमिनी) मैसर्स ग्लोबल फूड प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट–द्वितीय सर्वे नं0 13/1/15, 16/2, 17/4 ग्राम कुमेदी तहसील संवर जिला इन्दौर (म.प्र.)
5. मैसर्स ग्लोबल फूड प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट–द्वितीय सर्वे नं0 13/1/15, 16/2, 17/4 ग्राम कुमेदी तहसील संवर जिला इन्दौर (म.प्र.)
6. श्री भुवनेश कुमार व्यास पुत्र रामचन्द्र व्यास, दमानी चौक रामदेव मन्दिर के पास बीकानेर (नोमिनी) मैसर्स सेठिया फुडस, एफ–263 ए,264 बिचवाल इण्ड0 एरिया बीकानेर राज0।
7. मैसर्स सेठिया फुडस, एफ–263 ए,264 बिचवाल इण्ड0 एरिया बीकानेर राज0।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री मदन मोहन नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)
3– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2)
4– श्री हेमन्त गुप्ता अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 6 व 7)

निर्णय दिनांक 19.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.11.2015 को मैसर्स वसुमति एजेन्सीज, दीन दयाल पार्क बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री केशव राठोर पुत्र जगदीश राठोर **(विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 11.11.2015 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (आकाश नमकीन)** 1 किलो ग्राम के 10 पैक डिब्बे मे विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (आकाश नमकीन)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **रसगुल्ला (आकाश नमकीन)** विक्रेता से 1 किलो ग्राम के 4 पेकिट को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री केशव राठोर पुत्र जगदीश राठोर को 400/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **रसगुल्ला (आकाश नमकीन) 1 कि.ग्रा. के 4 पैकिट** को अलग–अलग चार नमूना भाग मे कर लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–553 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री केशव राठोर पुत्र जगदीश राठोर ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/32 दिनांक 21.1.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 3777/Act/2015/126 दिनांक 13.1.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (आकाश नमकीन) 1 कि.ग्रा.** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य पदार्थ का क्रय बिल एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 15.2.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1, 2, 6, 7, द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया एवं अप्रार्थी क्रम 3, 4, 5, अनुपस्थित रहे है जिसने विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (आकाश नमकीन) 1 कि.ग्रा.** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) का उल्लघंन किये जाने से अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी के पास खाद्य पदार्थ बेचने का अनुज्ञा पत्र है। नोटिस मिथ्या आधारो से होने के कारण चलने योग्य नही है। जबकि प्रार्थी खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (महाराणा) का सेम्पल नमूना अधिकारी ने लिया है। प्रार्थी के लिए गऐ रसगुल्ला का नमूना प्रार्थी की दुकान पर तैयार नही होने से यह चलने योग्य नही है। क्योकि उक्त रसगुल्ला प्रार्थी दीनदयाल पार्क पर स्थित दुकान बीकानेरी मिष्ठान भण्डार से खरीद कर मैसर्स कृष्णा ब्रेकरी पर बेचना है। इसके कोई मिलावड नही करता है। जैसा बीमानेर मिष्ठान भण्डार से खरीद कर लाता है। उसे वैसा ही अपनी दुकान पर बेच देता है। अप्रार्थी उक्त रसगुल्लो मे कोई मिलावट नही करता है। अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

अप्रार्थी क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि मेरे विरूद्व की गई कार्यवाही पूर्णतया अस्वीकार है। मद नम्बर 1 अस्वीकार है, मद नम्बर 2 अस्वीकार है अपितु कथन है कि अप्रार्थी उत्तरदाता की फर्म मैसर्स वसुमती एजेन्सीज दीन दयाल पार्क बारॉ पर अवस्थित है। किन्तु वहा पर केशव राठोर पुत्र जगदीश राठोर का बतौर विक्रेता उपस्थित होने का प्रशन ही पैदा नही होता। केशव राठोर की अन्य दुकान मै0 कृष्णा ब्रेकरी झालावाड रोड तेल फैक्ट्री बारॉ पर अवस्थित है तथा अप्रार्थी उत्तरदाता की दुकान से केशव राठोर का कोई सम्बन्ध नही है केशव राठोर ने जो भी खाद्य पदार्थ रसगुल्ला दिया होगा वह उसकी दुकान का होगा। नोटिस मे वर्णित यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी उत्तरदाता की दुकान से प्राप्त रसगुल्ला खाद्य पदार्थ मिलावटी या मिथ्याछाप का पाया गया है। मद नम्बर 3 सर्वथा गलत है अस्वीकार है दिनेश राठोर एवं हरिओम के हस्ताक्षर अप्रार्थी उत्तरदाता की उपस्थिति अथवा अप्रार्थी उत्तरदाता के नियोजित अथवा भागीदार की उपस्थिति मे किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। मद नम्बर 4 अस्वीकार है जिसमे वर्णित तथ्य साक्ष्य के मुश्तहक है जिन्हे साक्ष्य से प्रमाणित करना चाहिए। मद नम्बर 5 अस्वीकार है मद मे सम्पूर्ण तथ्य फरयादी को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करने है। मद नम्बर 6 अस्वीकार है समस्त तथ्य अप्रार्थी से असंबंधित है। मद नम्बर 7 अस्वीकार है मिथ्याछाप होने का कोई प्रमाण नही है। मद नम्बर 8 अप्रार्थी उत्तरदाया से संबंधित नही है। मैसर्स कृष्णा ब्रेकरी झालावाड रोड तेल फैक्ट्री बारॉ अप्रार्थी उत्तरदाता से माल खरीदता रहा है परन्तु सेम्पल मे वर्णित माल अप्रार्थी उत्तरदाता ने नही दिया है। फरियादी को अप्रार्थी उत्तरदाता ने अपनी फर्म का बिल उत्पादक मैसर्स सेठिया फूड्स का प्रस्तुत कर दिया था। यदि मिथ्या छाप अथवा मिलावटी खाद्य पदार्थ है तो उसके लिए अप्रार्थी क्रम 4 ता 7 जिम्मेदार है। अप्रार्थी से वैद्य प्रक्रिया के अन्तर्गत वैद्य विक्रेता से माल क्रय किया गया है। जिसमे किसी प्रकार का मिथ्या छाप होने का प्रशन ही नही है। मद नम्बर 9 व 10 अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया गया सम्पूर्ण माल सील बन्द एवं डिब्बा पेक है जिसमे किसी प्रकार की मिलावट अथवा मिथ्याछाप होने का प्रशन ही नही है। अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा दिनांक 28.3.2017 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया एवं उसके बाद अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि वैभव इन्टर प्राईजेज फर्म है। फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र आकाश गलोबल फूड प्रा0लि0 इन्दौर का बिल नं0 1545 दिनांक 22.10.2015 से प्राप्त किया था। जो वसुमति ऐजेन्सी बारा। को बिल नं0 184 दिनांक 5.11.2015 से दिया गया था। अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी क्रम 6 व 7 के अभिभाषक द्वारा कथन किया कि दिनांक 11.11.2015 खाद्य सुरक्षा अधिकरी अभियुक्त संख्या 1 मैसर्स वसुमति एजेन्सी दीन दयाल पार्क बारॉ फूड बिजनेस आपरेटन केशव राठोड के यहॉ से एक सेम्पल रसगुल्ला (आकाश नमकीन) जांच हेतु लिया गया। सेम्पल जॉच हेतु खाद्य निरीक्षक के पास भेजा गया, जो कि दिनांक 13.6.2016 की रिपोर्ट अनुसार उक्त सेम्पल मानक स्तर पर पाया गया, परन्तु उक्त सेम्पल रेगुलेशन 2.2.1(3) फूड पेकेजिंग एण्ड लेवलिंग 2011 के अनुसार मिथ्याछाप व मिसब्राण्ड पाया गया। अभियुक्त संख्या 6 श्री भुवनेश कुमार अभियुक्त सं0 7 फर्म मैसर्स सेठिया फूडस एफ–263 ए–264 बीचवाला इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर का नॉमिनी है एवं उक्त माल अभियुक्त सं0 7 की फर्म द्वारा बनाया एवं मेन्यूफेक्चरिंग किया जाता है एवं उक्त माल की लेबलिंग अभियुक्त सं0 5 मैसर्स ग्लोबल फूडस प्रा0लि0 द्वारा डिलाईन एवं निर्मित की जाती है। उक्त नमूने को मानक स्तर पर पाया है ओर जिसमे किसी भी तरह की मिलावट नही पाई गई है। परन्तु उक्त नमूना की लेवलिंग रेगुलेशन नम्बर 2.2.2 फूड पेकेजिंग एवं लेवलिंग 2011 के आधार पर मिस ब्रांडिग के अन्तर्गत लेबल पर आवश्यक सभी तथ्य मौजूद नही है। रिपोर्ट के अनुसार रसगुल्ले की गुण्वत्ता मे कोई कमी नही पाई गई है। अतः अप्रार्थी क्रम 6 व 7 को दोष मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 3777/Act /2015/126 दिनांक 13.1.2016 के बाद अप्रार्थीगण को **रसगुल्ला (आकाश नमकीन) 1 कि.ग्रा.** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण क्रम 1, 2 व 6,7 के अभिभाषकगण द्वारा आपसी सहमति से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 3,4,5 को जुमार्ना राशि से मुक्त रखा जावे। उनके हिस्से की जुर्माना राशि हम तीनो अभिभाषकगण जमा करवा देगे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (आकाश नमकीन) 1 कि.ग्रा.** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को 10,000/– रूपये, अप्रार्थी क्रम 2 को 10,000/– रूपये, अप्रार्थी क्रम 6 व 7 को 10,000/– रूपये कुल जुर्माना राशि 30,000/–रूपये अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)